क.

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। (2010 की सिविल अपील संख्या 2153) 18 दिसंबर, 2019

[एन**.** वी**.** रमना**,** मोहन एम**.** शांतनागौदर और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।31(3) और 34-ऐसी कंपनी द्वारा स्थापित की जाने वाली जलीय कृषि इकाई के लिए एक कंपनी और प्रतिवादी के बीच अनुबंध किया गया-प्रतिवादी ने तालाबों, चैनलों, नालियों और संबंधित कार्यों के निर्माण के लिए कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं-अपीलकर्ता ने काम करने के लिए प्रस्ताव, अनुमान और उद्धरण दिया-प्रतिवादी ने 15.11.94 पर कार्य आदेश जारी किया-05.01.95 पर, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के कर्मचारियों को काम रोकने का निर्देश दिया-अपीलकर्ता ने अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के लिए मुआवजे का दावा किया-मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित विवाद-दावा संख्या। 3 (लाभ की हानि), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकृत-अपीलार्थी द्वारा प्रश्न नहीं किया गया और अंतिमता प्राप्त की गई-केवल आपत्ति दावा संख्या के संदर्भ में है।2 (मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के कारण नुकसान) जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा रु। 27,78,125-प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ-एकल न्यायाधीश ने निर्णय को बरकरार रखा-खंड पीठ ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया और दावा संख्या से संबंधित न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द कर दिया।2 – आयोजित किया गयाः यू/एस को अनिवार्य करें।31(3) ऐसा तर्क होना चाहिए जो बोधगम्य और पर्याप्त हो और जो उचित मामलों में न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णय और उसके तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों के निष्पक्ष अध्ययन से भी निहित किया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो-वर्तमान मामले में, हालांकि न्यायाधिकरण ने विभिन्न उप-शीर्षकों के तहत अलग-अलग दावों पर विचार किया है, पुरस्कार भ्रमित करने वाला है और तर्क, तथ्यों और तर्क को उचित भेद के बिना उलझाता है-यह बिना कोई कारण बताए, तथ्यात्मक कथन के अंत में अचानक समाप्त हो गया-अपर्याप्त तर्क और प्रत्यर्थी की मंजूरी पर पुरस्कार को आधार बनाना शामिल मुद्दे की जटिलता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं कहा जा सकता है, और तदनुसार पुरस्कार अस्पष्ट है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है-एस प्रदान करने का विधायी इरादा।34 (4) पुरस्कार को लागू करने योग्य बनाना था,

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

न्यायाधिकरण को उपचार योग्य दोषों को दूर करने का अवसर देने के बाद-जब उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई तर्कपूर्ण निर्णय नहीं था, तो निर्णय का अस्तित्व समाप्त हो गया और न्यायालय आधिकारिक रूप से कार्य कर रहा था।34 पुरस्कार की चुनौती की सुनवाई के लिए-ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को मामले को सामान्य तरीके से न्यायाधिकरण को भेजने पर विचार करना चाहिए था, लेकिन उसने गुण-दोष के आधार पर मामले का विश्लेषण किया-हालाँकि, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण को इस तरह की रिमांड फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि मामले को निर्णय लेने में 25 साल से अधिक का समय लगा

है, पक्षकारों के लिए कोई अंत नहीं है-उत्तरदाताओं को रु। 30,00,000-दावा सं. के विरुद्ध पूर्ण और अंतिम निपटान में अपीलार्थी को।2 8 सप्ताह के भीतर, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी मुकदमे को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

ग

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34-चर्चा का अधिदेश।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 31-तर्कपूर्ण पुरस्कार की आवश्यकता-चर्चा की गई।

डी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34-मध्यस्थता पुरस्कार के लिए चुनौती-पुरस्कार चाहे अस्पष्ट हो या पुरस्कार में कारणों की अपर्याप्तता हो-आयोजितःयदि किसी पुरस्कार को चुनौती इस आधार पर दी जाती है कि वह दुर्बोध है, तो यह कोई कारण नहीं देने के बराबर होगा-सामान्य रूप से दुर्बोध पुरस्कारों को अलग रखा जाना चाहिए, तर्कपूर्ण पुरस्कार को समाप्त करने के लिए पार्टी की स्वायत्तता के अधीन-पर्याप्त कारणों पर चुनौती दिए गए पुरस्कार के मामले में, न्यायालय यू/एस के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए।34 विचार के लिए आने वाले मुद्दों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तर्क की विशिष्टता की डिग्री के आधार पर ऐसे पुरस्कार की वैधता का निर्णय करना होता है-न्यायालयों को एक पुरस्कार में कारणों की अपर्याप्तता और दुर्बोध पुरस्कारों के बीच अंतर करते समय सावधान रहने की आवश्यकता होती है।

ई.

च

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.1** मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** किसी पुरस्कार को चुनौती देने को केवल उसमें दिए गए आधारों या विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या के आधार पर सीमित करती है।मध्यस्थता पुरस्कारों में आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए**,** जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता है कि पुरस्कार की विकृति मामले की जड़ तक जाती है**,** बिना ए की संभावना के।

एच.

297

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड।

वैकल्पिक व्याख्या जो मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रख सकती है।धारा **34** अपने दृष्टिकोण में अलग है और इसे सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है।धारा **34** के तहत अधिदेश मध्यस्थता पुरस्कार की अंतिमता और कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है।यदि न्यायालय तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य पाठ्यक्रम में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं**,** तो वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने के पीछे वाणिज्यिक ज्ञान निराश होगा।न्यायालयों को किसी निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुबंध के तथ्यों और व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है।न्यायालयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को टालना चाहिए**,** भले ही निर्णय में प्रदान किया गया तर्क निहित हो**,** जब तक कि ऐसा निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित नहीं करता है। **[**पैरा **26,27] [310-**एच**; 311-**ए**-**डी**]**

ग

एल. आर. एस. बनाम के. एन. सत्यपालन (मृत)केरल राज्य,

डी.

(2007) 13 एससीसी **43:[2006] 9** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 864-**संदर्भित।

1.2 मध्यस्थता कार्यवाही स्वयं न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही से तुलनीय नहीं है।भारतीय मध्यस्थता कानून के तहत एक पक्ष किसी भी व्यक्ति के समक्ष मध्यस्थता का विकल्प चुन सकता है**,** यहां तक कि जिनके पास पूर्व कानूनी अनुभव भी नहीं है।एक डिफ़ॉल्ट नियम प्रदान करने के लिए विधायिका के इरादे को मध्यस्थता के चयन में निहित वाणिज्यिक ज्ञान के आलोक में तर्कसंगत अर्थ दिया जाना चाहिए।**[**पैरा **30] [312-**सी**]**

ई.

1.3 मध्यस्थता अधिनियम की धारा **31 (3)** के तहत अधिदेश में ऐसा तर्क होना चाहिए जो समझने योग्य और पर्याप्त हो और जो उचित मामलों में न्यायालयों द्वारा पुरस्कार और उसके तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों के निष्पक्ष अध्ययन से भी निहित किया जा सकता है**,** यदि आवश्यकता हो।उपरोक्त प्रावधान में विवाद के त्वरित समाधान के संबंध में मध्यस्थों द्वारा एक विस्तृत निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है।एक तर्कबद्ध क्रम की तीन विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है:उचित**,** बोधगम्य और पर्याप्त।यदि क्रम में तर्क अनुचित हैं**,** तो वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक दोष प्रकट करते हैं।यदि किसी पुरस्कार को चुनौती तर्क में अनुचितता या विकृति पर आधारित है**,** तो इसे सख्ती से चुनौती दी जा सकती है

च

जी.

एच.

298 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

क.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत प्रदान किए गए आधार। यदि किसी पुरस्कार को चुनौती इस आधार पर दी जाती है कि यह समझ में नहीं आता है**,** तो यह बिना कोई कारण बताए देने के बराबर होगा।न्यायालय को धारा **34** के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय विचार के लिए आने वाले मुद्दों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तर्क की विशिष्टता की डिग्री के आधार पर ऐसे पुरस्कार की वैधता पर निर्णय लेना होता है।विशिष्टता की मात्रा को सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह मुद्दे की जटिलता पर निर्भर करेगा।भले ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्षों के तर्क में अंतराल था**,** न्यायालय को पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि अपर्याप्त कारणों वाले पुरस्कारों को आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से अलग न किया जाए।दूसरी ओर**,** आमतौर पर दुर्बोध पुरस्कारों को अलग रखा जाना चाहिए**,** जो तर्कपूर्ण पुरस्कार को समाप्त करने के लिए पार्टी की स्वायत्तता के अधीन हैं।इसलिए**,** न्यायालयों को किसी पुरस्कार में कारणों की अपर्याप्तता और दुर्बोध पुरस्कारों के बीच अंतर करते समय सावधान रहने की आवश्यकता होती है।**[**पारस **35,36] [313-**एफ**-**एच**; 314-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

रायपुर विकास प्राधिकरण बनाम चोखामल

ठेकेदार ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1426:[1989] 3 एससीआर

144 ; एस**.** हरचरण सिंह बनाम भारत संघ **(1990) 4**

ई.

एससीसी 647:[1990] 1 पूरक।एस. सी. आर. 76; सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनामकेरल राज्य, (2009) 4 ए. आर. बी. एल. आर. 13 एस. सी.-निर्दिष्ट।

1.4 मध्यस्थता अधिनियम में धारा **34 (4)** प्रदान करने का विधायी इरादा न्यायाधिकरण को उपचार योग्य दोषों को दूर करने का अवसर देने के बाद पुरस्कार को लागू करने योग्य बनाना था।इस प्रावधान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था।तर्क के अभाव के मामले में ऐसे दोषों को ठीक करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34 (4)** के तहत उपयोगिता प्रदान की गई है।जब तर्क में पूरी तरह से विकृति होती है, तभी इसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के प्रावधानों के तहत चुनौती दी जा सकती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34 (4)** के तहत दोषों को दूर करने के लिए निहित शक्ति का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां मध्यस्थता पुरस्कार कोई तर्क प्रदान नहीं करता है या यदि निर्णय में तर्क या अन्यथा में कुछ अंतर है और कि ए

च

जी.

एच.

299

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड।

इसका उपचार किया जा सकता है ताकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत उपरोक्त उपचार योग्य दोषों के आधार पर किसी चुनौती से बचा जा सके। हालाँकि, इस मामले में न्यायाधिकरण को इस तरह की रिमांड फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि इस मामले में निर्णय लेने में **25** साल से अधिक का समय लगा है।जब उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई तर्कपूर्ण पुरस्कार नहीं था, तो पुरस्कार का अस्तित्व समाप्त हो गया और न्यायालय धारा **34** के प्रावधानों के तहत पुरस्कार की चुनौती की सुनवाई के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत कार्यात्मक अधिकारी था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता पुरस्कार समझौते के संदर्भ में नहीं था।ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को सामान्य तरीके से मामले को न्यायाधिकरण को भेजने पर विचार करना चाहिए था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले का विश्लेषण किया, लेकिन विभिन्न कारणों से, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की वैधता में नहीं जाता है।यद्यपि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विभिन्न उप-शीर्षकों के तहत दावों को अलग-अलग निपटाया है, लेकिन पुरस्कार भ्रमित करने वाला है और बिना उचित भेद के तर्क, तथ्यों और तर्क को उलझाने वाला है।न्यायाधिकरण ने जहां भी उस पर भरोसा किया, वहां अनुलग्नकों के संदर्भों के साथ तथ्यों के वर्णन के साथ पुरस्कार प्रदान किया।न्यायाधिकरण ने बिना कोई कारण बताए, तथ्यात्मक कथन के अंत में अचानक निष्कर्ष निकाला।दिलचस्प बात यह है कि तथ्यात्मक वर्णन दावेदार के तर्क के साथ जोड़ा गया है, जो एक साथ बंडल किया गया है।उसी को अलग करने के लिए उसे बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दलीलों को उस आधार के साथ मिलाया है जिस पर वह दावेदार के दावे के लिए भरोसा करना चाहता है।इसके अलावा, इसने प्रतिवादी के बचाव के कारणों को कम कर दिया है।दस्तावेजों के आधार पर दिमाग के स्वतंत्र अनुप्रयोग के बावजूद, लेकिन पुरस्कार को अपने मौजूदा रूप में बनाए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष के पूरक के लिए कानूनी तर्क की आवश्यकता होती है।इस संदर्भ में, विषय वस्तु की जटिलता न्यायालय को इस तरह के कानूनी तर्क को पूरक बनाने से रोकती है और उपरोक्त निर्णय को तर्क के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है।**[**पारस **37-41] [314-E-H; 325-A-D, G-H; 316-A-B]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

1.5 पुरस्कार के अवलोकन से**,** इसमें शामिल मुद्दे की जटिलता को देखते हुए अपर्याप्त तर्क और प्रतिवादी की मंजूरी पर पुरस्कार को आधार बनाना उचित नहीं कहा जा सकता है**,** और तदनुसार पुरस्कार दुर्बोध है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।किसी भी मामले में**,** मुकदमेबाजी

एच.

300 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

क.

पार्टियों के लिए बिना किसी अंत के**, 25** से अधिक वर्षों से लंबा हो गया है।कुल मिलाकर**,** उत्तरदाताओं को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित माना जाता है। **30,00,000-(**केवल तीस लाख रुपये**)** अपीलार्थी को **8** सप्ताह की अवधि के भीतर दावा संख्या **2** के खिलाफ पूर्ण और अंतिम निपटान में**,** जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी मुकदमे को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान तक **12** प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा।**[**पैरा **43,44] [316-**एफ**-**एच**;** **317-**ए**]**

मध्यस्थता पर रसेल**, 23** वां संस्करण।**(2007) –** संदर्भित किया गया।निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[2006] 9 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 864** पैरा **20 [1989] 3** एस**.** सी**.** आर**. 144** को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[1990] 1 पूरक।एससीआर **76**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

(2009) 4 ए**.** आर**.** बी**.** एल**.** आर**. 13** एस**.** सी**.** पैरा **33** को संदर्भित

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2010 की सिविल अपील सं. 2153।

2001 के ओ. एस. ए. सं. 234 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2007 से।

ई.

सुश्री रेणु गुप्ता, सुश्री अक्षय गणपति, सुश्री दीक्षा राय, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

रमेश सिंह, पंकज जैन, बिजय कुमार जैन, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन**.** वी**.** रमना**,** जे**.**

1. इसमें शामिल प्रश्न तर्कपूर्ण निर्णय की आवश्यकता और पक्षों और मध्यस्थों के लिए एक स्पष्ट निर्णय की चेतावनी के इर्द-गिर्द घूमता है, बजाय इसके कि एक ऐसा पुरस्कार हो जो रूप में गड़बड़ हो और इसकी सामग्री में निहित हो, जो अनिवार्य रूप से

स्पष्टता प्राप्त करने के लिए पक्षों के समय और संसाधनों की बर्बादी की ओर ले जाता है, और कुछ मामलों में, मध्यस्थता के लिए जाने के कारण को विफल कर देता है।

जी.

2. यह अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश और दिनांक 27.04.2007 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत ए

एच.

301

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और दावा सं. सं. से संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द कर दिया। 2 मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि डी. सी. एम. श्रीराम एक्वा फूड्स लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप में 'डी. सी. एम.' के रूप में संदर्भित) और मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप में 'सी. जी. एल.' के रूप में संदर्भित) के बीच ऐसे प्राचार्य, अर्थात् डी. सी. एम. द्वारा स्थापित की जाने वाली जलीय कृषि इकाई के लिए एक अनुबंध किया गया था। सी. जी. एल. ने तालाबों, नहरों, नालियों और संबंधित कार्यों के निर्माण के लिए कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। अपीलार्थी मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कार्य को पूरा करने के लिए अपना प्रस्ताव, अनुमान और उद्धरण दिया।इसके बाद, प्रत्यर्थी सी. जी. एल. ने 25 जुलाई, 1994 को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया, जिसके प्रासंगिक हिस्से इस प्रकार हैंः

ग

“10.यदि आप डी. सी. एम. के कारण या आपके साथ नहीं जुड़े कानूनी व्यवधानों के कारण कार्य मोर्चों की अनुपलब्धता के कारण अपने उपकरण और मानव शक्ति को निष्क्रिय रखने के लिए मजबूर हैं, तो आपको निम्नानुसार मुआवजा दिया जाएगाः(i) बिना किसी मुआवजे के अधिकतम सात दिन तक काम बंद रहना।

डी.

(ii) सी. जी. एल. के पास आपको इस तरह की देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के बदले में आंशिक रूप से या पूरी तरह से विघटित करने की सलाह देने का अधिकार सुरक्षित है।ऐसी परिस्थितियों में, आपको पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर साइट पर उपकरणों के परिवहन के लिए इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

ई.

(iii) काम बंद होने के कारण हुई देरी की भरपाई के लिए काम पूरा करने के लिए उपयुक्त समय बढ़ाया जाएगा।

च

11. भंडारण और सुरक्षाःआप साइट पर अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक स्टोर, कार्यालय और श्रम शिविर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।आपको केवल ऊपर के निर्माण के लिए खुला क्षेत्र दिया जाएगा।एक बिंदु पर वास्तविक रूप से प्रभार्य आधार पर बिजली प्रदान की जाएगी।आप अपनी आवश्यक जगह पर उसी पर टैप करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

जी.

एक प्रारूप कार्य आदेश के लिए बाद में शुल्क लिया जाएगा जिसमें अन्य सामान्य नियम और शर्तें शामिल होंगी।श्रम नियम, श्रमिक मुआवजा आदि जो इस एल. ओ. आई. के दायरे में नहीं आ सकते हैं और वे भी इस एल. ओ. आई. का हिस्सा होंगे।

एच.

4. अपीलार्थी ने कुछ प्रश्न और स्पष्टीकरण दिए और 10 अक्टूबर, 1994 के पत्र द्वारा सी. जी. एल. ने अपीलार्थी कंपनी द्वारा सुझाए गए अनुबंध में संशोधन किया।इसके बाद, सी. जी. एल. ने 15 नवंबर, 1994 को कार्य के नियम और शर्तों को निर्धारित करते हुए कार्य आदेश जारी किया, जिसके भौतिक भागों को नीचे बताया गया हैः

"2. अनुबंध की समाप्तिः

कंपनी के पास निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण मुआवजे के भुगतान के बिना किसी भी स्तर पर इस काम को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित हैः

ए। यदि ग्राहक और कंपनी के बीच मूल अनुबंध समाप्त/निलंबित कर दिया जाता है।

ग

बी। कंपनी कार्य मोर्चों की अनुपलब्धता, सामग्री की उपलब्धता में देरी या ग्राहकों से भुगतान की प्राप्ति में देरी आदि कारणों से काम को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।

डी.

ग. यदि ठेकेदार कंपनी के ग्राहकों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि के लिए काम करने में सक्षम नहीं है।

घ. यदि ठेकेदार कंपनी और उनके खरीदार द्वारा आवश्यक पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने में असमर्थ है।

ई.

ई. इस अनुबंध/कार्य आदेश की समाप्ति पर, पक्षों के सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि समाप्ति ठेकेदार को उसके किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो समाप्ति की तारीख तक उपार्जित हो सकता है।

च

ठेकेदार की ओर से चूक के कारण इस अनुबंध/कार्य आदेश की समाप्ति पर, वह इस तरह की समाप्ति के परिणामस्वरूप कंपनी को हुए सभी नुकसानों के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति करेगा।"

5. काम शुरू होने के बाद, प्रतिवादी सी. जी. एल. ने 5 जनवरी, 1995 को अपीलकर्ता कंपनी के कर्मचारियों को काम बंद करने का निर्देश दिया।

जी.

6. अपीलकर्ता कंपनी ने अनुबंध की इस तरह की समय से पहले समाप्ति के लिए मुआवजे का दावा किया और अंततः विवाद को तीन मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा गया।

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

क.

7. अपीलार्थी-दावेदार ने निम्नलिखित दावे किएः- (1) निष्क्रिय शुल्कों के कारण नुकसान।

(2) पुरुषों और मशीनरी की अनुत्पादकता के कारण नुकसान जो बाधाओं के कारण काम नहीं कर सके।

(3) अनुबंध के भंग होने पर लाभ का नुकसान और (4) उपरोक्त दावों पर ब्याज और

(5) लागतें।

8. उपरोक्त दावे कुल रुपये के दावों के विवरण में सूचीबद्ध हैं। 54, 21, 170.45 शुरू में 21 जून, 1997 को और संशोधित रूप से रु। 5 जुलाई, 1997 को 53,83,980.45।

ग

9. अंतिम दावों का सारांश निम्नलिखित हैः- (1) मशीनरी के लिए निष्क्रिय शुल्क

डी.

और विमुद्रीकरण जैसा कि स्वीकृत है

...रु. 4, 18, 551.50

उत्तरदाता द्वारा

(2) मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के कारण नुकसान

...रु. 45, 85, 286.00

(3) लाभ का नुकसान

...रु. 20, 89, 925.00 (4) और (5) ब्याज और लागत का आकलन किया जाना है।

ई.

रु. 70, 93, 763.33 कटौती भुगतान पहले ही रु। 17, 09, 782.88

च

देय शेष राशि

रु. 53, 83, 980.45

+

ब्याज और लागत

जी.

10. इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि जहाँ तक दावा नहीं है। 1 निष्क्रिय शुल्कों के कारण होने वाले नुकसान के संबंध में, इसे अंततः पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया गया और ब्याज घटक के प्रति शेष राशि का भी भुगतान किया जाता है।

11. जहाँ तक दावा नहीं है। 3 लाभ की हानि के संबंध में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी और बाद में अपीलार्थी-दावेदार द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया गया था और यह अंतिम रूप से प्राप्त हुआ था।12. एकमात्र आपत्ति न के दावे के संदर्भ में है। 2, अर्थात, यंत्रों के अनुत्पादक उपयोग के कारण होने वाले नुकसान, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा रु। 27,78,125-इसके 30 अप्रैल, 1998 के पुरस्कार और 5 मई, 1998 के पुरस्कार में सुधार के माध्यम से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

13. न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर, मद्रास में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक मूल याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 34 के तहत निर्णय पर सवाल उठाया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

ग

“7. इस प्रकार मध्यस्थों ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया है कि मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि वास्तव में चौथे प्रतिवादी द्वारा खर्च की गई राशि है और इसलिए याचिकाकर्ता चौथे प्रतिवादी द्वारा किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।इसलिए यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

डी.

ई.

...

9. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस अदालत को पुरस्कार के विभिन्न हिस्सों में ले गए और इस अदालत को यह समझाने की कोशिश की कि मध्यस्थों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पूरी तरह से सराहना करते हुए इस मुद्दे का फैसला नहीं किया है।मैसर्स सुंदरसन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरल सरकार (ए. आई. आर. 1989 सुप्रीम कोर्ट 890) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता के लिए किसी मामले में अनुबंध की व्याख्या के संबंध में मध्यस्थ की शक्ति, मध्यस्थ अनुबंध का एक विशेष दृष्टिकोण लेकर पुरस्कार पारित कर सकता है और इसलिए, न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।इसलिए, यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है और अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और पुरस्कार को रद्द कर सकता है।तमिलनाडु सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम अल्बर्ट एंड कंपनी (2000 (III) सी. टी. सी. 83) के मामले में भी, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, मध्यस्थ का पुरस्कार केवल सीमित आधारों पर अलग किया जा सकता है।

च

जी.

एच.

और पुरस्कार में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपलब्ध सामग्रियों पर दूसरा दृष्टिकोण संभव है। मध्यस्थ पक्षों की पसंद का न्यायाधीश होता है और यह न्यायालय तब तक अलग नहीं कर सकता जब तक कि वह अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त न हो।इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है, भले ही न्यायालय एक ही तथ्यों पर अलग-अलग निष्कर्ष पर आ सके।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया है।यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पुरस्कार विकृत है या अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि है।इसलिए, मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अवैध या अमान्य नहीं है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है।इसलिए याचिका खारिज की जाती है।"

ग

(जोर दिया गया)

14. विद्वत एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने 2001 के ओ. एस. ए. सं. 234 में खंड पीठ के समक्ष अपील की।जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और दावा संख्या से संबंधित न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द कर दिया।2. उच्च न्यायालय की राय थी कि पुरस्कार में पर्याप्त कारण नहीं हैं और पुरस्कार के अनुच्छेद 3.1 (ए) से 3.1 (जी) में निहित बयान कोई कारण, चर्चा या निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से टिप्पणी की हैः

डी.

ई.

“18. यह निश्चित रूप से सच है कि एक मध्यस्थ से कानून न्यायालय की तरह एक विस्तृत निर्णय लिखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।तथापि, वर्तमान अधिनियम में विचार किया गया है कि मध्यस्थ के निर्णय को कारण द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के आधार पर प्रत्यर्थी के वकील द्वारा दिए गए निर्णय को अधिनियम में निहित विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि उक्त निर्णय का अनुपात लागू है, हम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के लिए पुरस्कार में किसी भी अंतर्निहित कारण को नहीं बता सकते हैं।दावेदार के अधिकार का आधार और वर्तमान अपीलार्थी के दायित्व का आधार पुरस्कार के चार कोनों के भीतर कहीं भी इंगित नहीं किया गया है और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पुरस्कार में किसी भी गुप्त कारण का पता लगाना भी संभव नहीं है।

च

जी.

19. यह भी तर्क दिया गया कि पुरस्कार के पैरा 3.1 (जी) में चर्चा में न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आधार और कारण शामिल है।

एच.

हम इस तरह के पैराग्राफ के साथ-साथ पिछले और बाद के पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ चुके हैं।हमारी सुविचारित राय में, पैरा 3.1 (जी) सहित पैरा 3.1 में पढ़े गए कथन केवल दावेदार द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण/दावे के सार हैं और पैरा 3.1 (जी) को न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष या तर्क के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।"

15. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मध्यस्थता निर्णय में तर्क की कमी के कारण कमी थी, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) का विकल्प आवश्यक नहीं था क्योंकि मुआवजे का दावा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता था कि कार्य आदेश में दावा संख्या को छोड़कर प्रावधान है। 2, निम्नलिखित तरीके सेः

ग

“20. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि यदि इस न्यायालय को लगता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कारण नहीं दिया है, भले ही धारा 31 (4) के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके धारा 31 (3) के तहत इसकी आवश्यकता है, तो यह न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू करने या मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय के अनुसार कार्रवाई करने का अवसर दे सकता है।

डी.

21. हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जहाँ मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण देने के लिए बुलाया जा सकता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि, हमारी सुविचारित राय में, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के कारण किसी भी मुआवजे के भुगतान की संभावना को बाहर करती हैं जैसा कि पैरा सी. 2 (ए) में परिकल्पना की गई है।"

ई.

च

16. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने आगे ध्यान दिया कि कार्य आदेश के तहत शर्तों पर विचार करके मध्यस्थता कार्यवाही न्यायाधिकरण की क्षमता से परे थी।

17. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तीन मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध पूरी सामग्री को देखा है और न का दावा करने के संदर्भ में एक निष्कर्ष दर्ज किया है। 2 (यंत्रों के अनुत्पादक उपयोग के कारण नुकसान) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद "अनुबंध अधिनियम") की धारा 73 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के आधार पर और प्रत्यर्थी द्वारा अनुमोदित लॉग बुक के मूल्यांकन सहित साक्ष्य पर भरोसा करते हुए और यह अभिनिर्धारित किया कि वास्तविक नुकसान/खर्च अपीलार्थी द्वारा किए गए थे।

जी.

एच.

307

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

क.

दी गई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के लिए समझौते के उस खंड के उल्लंघन में अपने स्वयं के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन और प्रतिस्थापन करने के लिए अपील करने के लिए खुला नहीं था, जिसके अनुसार मध्यस्थता विवाद उठाया गया था और मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के कारण अपीलार्थी को हुए नुकसान के संबंध में दावे की स्वीकृति में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के दायरे से बाहर है।

18. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह नहीं माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य, यानी लॉग बुक उचित नहीं थे या गुणवत्ता की कमी थी।वास्तव में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी और केवल दायित्व पर सवाल उठाया गया था।विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील का एकमात्र निवेदन यह था कि मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के लिए हुए नुकसान के लिए

मुआवजा देने वाले अनुबंध के तहत कोई प्रावधान नहीं था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच करने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के दायरे से बाहर है और दी गई परिस्थितियों में, नहीं का दावा करें। 2 जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले के तहत दरकिनार कर दिया है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के योग्य है।

ग

डी.

ई.

19. विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अनुबंध अधिनियम की धारा 73 एक ऐसा अधिकार प्रदान करती है जो सार्वजनिक हित/लाभ के लिए है और संविदात्मक खंड, यदि कोई हो, जो किसी पक्ष के ऐसे अधिकार को एकतरफा रूप से छीन लेता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन है। जो कानून किसी व्यक्ति के लाभ के लिए बनाया गया है, उसे केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा माफ किया जा सकता है, हालांकि, जहां कानून सार्वजनिक हित के लिए है या जिसमें नीतिगत तत्व है, तो ऐसे अधिकारों को किसी व्यक्ति द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे अधिकार सार्वजनिक नीति/सार्वजनिक हित का मामला हैं।

च

जी.

20. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक संविदात्मक प्रावधान जो एक विशिष्ट वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि इसे लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार की निराशा होगी या यदि संविदात्मक खंड अनैतिक है या इसका विरोध करता है

एच.

सार्वजनिक नीति, ऐसे मामलों में संविदात्मक खंड अमान्य है और शुरुआत से ही अमान्य है और इसे अपीलार्थी को उस वास्तविक नुकसान का दावा करने से वंचित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो उसे हुआ है और जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया गया है और जिसे प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रत्यर्थी बाध्य है।दी गई परिस्थितियों में, नहीं का दावा करें। 2 जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।समर्थन में विद्वान वकील ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है

के**.**एन**.** सत्यपालन **(**मृत**)** एल**.** आर**.** एस**.** बनाम**.**केरल राज्य **(2007) 13** एस**.** सी**.** सी**.**

43.

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि जिस दावे को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में अस्वीकार कर दिया गया है, वह मूल रूप से अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के कारण मुआवजे या नुकसान के भुगतान का दावा है और न तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने नुकसान के मुआवजे का दावा करने के दावेदार के अधिकार और दावे का

भुगतान/निपटान करने के लिए प्रत्यर्थी के संबंधित दायित्व की सराहना करने में अनुबंध की शर्तों पर विचार/जांच की है।उनके अनुसार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं था।

ग

डी.

22. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण मुआवजा देने के लिए अनुबंध की शर्तों से परे यात्रा नहीं कर सकता है।वास्तव में, वर्तमान मामले में, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से निषेध करती हैं कि यदि परियोजना की समाप्ति के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता है तो कोई मुआवजा देय नहीं है।इस तरह के स्पष्ट निषेध के बावजूद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के आधार का खुलासा किए बिना भी मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।

ई.

च

23. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) (iv) में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि इस तरह के पुरस्कार को अलग किया जा सकता है यदि पुरस्कार किसी ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है या नहीं आता है।जब अनुबंध में कोई विशिष्ट बहिष्करण/निषेध होता है, तो न्यायाधिकरण के लिए एक निर्णय पारित करने में अनुबंध की शर्तों से परे यात्रा करने के लिए यह खुला नहीं था, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित निर्णय में ध्यान में रखा है और जिसे सही कारणों से समर्थित किया गया है।विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि ए में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा क्या अवलोकन किया गया है

जी.

एच.

309

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

विवादित निर्णय कानून के तय किए गए सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

24. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

25. संविदात्मक मुद्दों में उतरने से पहले, हमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र पर कुछ संकेतों का पालन करने की आवश्यकता है। 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले धारा 34 इस प्रकार थी -

“34 मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।—

(1) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

ग

(2) मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब-(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि-(i) कोई पक्ष किसी असमर्थता में था, या

डी.

((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस समय लागू कानून के तहत; या

ई.

((ग) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या

च

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है या नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

जी.

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग किया जा सकता है; या

एच.

(v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी ऐसे प्रावधान के साथ टकराव में न हो जिससे पक्षकार अवमूल्यन न कर सकें, या ऐसे समझौते में विफल रहना, इस भाग के अनुसार न हो; या

(ख) न्यायालय ने पाया कि-(i) विवाद का विषय उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या

ग

((ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

स्पष्टीकरण.—उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था।

डी.

(3)अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का निपटारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था:बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

ई.

च

(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधारों को समाप्त कर देगा।

जी.

26. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 किसी चुनौती को केवल उसमें दिए गए आधारों पर या ए के रूप में सीमित करती है।

एच.

311

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या।हमें इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता पुरस्कारों में आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता है कि निर्णय की विकृति मामले की जड़ तक जाती है, बिना वैकल्पिक व्याख्या की संभावना के जो मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रख सकती है। धारा 34 अपने दृष्टिकोण में अलग है और इसे सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है।धारा 34 के तहत अधिदेश मध्यस्थता पुरस्कार की अंतिमता और कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है।यदि न्यायालय तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य पाठ्यक्रम में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, तो वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने के पीछे वाणिज्यिक ज्ञान निराश होगा।

ग

27. इसके अलावा, इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालयों को केवल तथ्यों और अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद होने के कारण किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।न्यायालयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को टालना चाहिए, भले ही निर्णय में प्रदान किया गया तर्क निहित हो, जब तक कि ऐसा निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित नहीं करता है।

डी.

28. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के पीछे बुनियादी न्यायशास्त्र स्थापित करने के बाद, हमें मामले के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का प्राथमिक तर्क यह है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय बिना किसी कारण के विकृत था।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 के तहत कारण प्रदान करने की आवश्यकता प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार हैः

ई.

“31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय**-**वस्तु।**- ...**

च

(3) मध्यस्थता पुरस्कार उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि -

(क) पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए, या

जी.

(ख) पुरस्कार धारा 30 के तहत सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार है।"

(जोर दिया गया)

UNCITRAL मॉडल कानून के तहत उपरोक्त प्रावधान निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः

एच.

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

“(2) पुरस्कार उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि पक्ष इस बात पर सहमत न हों कि कोई कारण नहीं दिया जाना है या पुरस्कार अनुच्छेद 30 के तहत सहमत शर्तों पर एक पुरस्कार है।"29. मॉडल कानून के तहत स्थिति के समान, भारत भी कारणों को प्रदान करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट नियम को अपनाता है जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। इंग्लैंड, अमेरिका और मॉडल लॉ जैसे अधिकांश देशों की तरह, भारतीय कानून तर्कहीन पुरस्कार के प्रवर्तन को मान्यता देता है यदि दोनों पक्षों के बीच इस पर सहमति हो गई है।

30. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि मध्यस्थता की कार्यवाही स्वयं न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही से तुलनीय नहीं है।भारतीय मध्यस्थता कानून के तहत एक पक्ष किसी भी व्यक्ति के समक्ष मध्यस्थता का विकल्प चुन सकता है, यहां तक कि जिनके पास पूर्व कानूनी अनुभव भी नहीं है।इस संबंध में, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक डिफ़ॉल्ट नियम प्रदान करने के लिए विधायिका के इरादे को मध्यस्थता के चयन में निहित वाणिज्यिक ज्ञान के आलोक में तर्कसंगत अर्थ दिया जाना चाहिए।

ग

31. के मामले में इस न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ

डी.

रायपुर विकास प्राधिकरण बनाम चोखामल ठेकेदार, आकाशवाणी 1990

एस. सी. 1426 ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 के दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी पुरस्कार को न तो इस आधार पर प्रेषित किया जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता है कि इसमें निष्कर्ष या उसमें किए गए निर्णयों के समर्थन में कोई कारण नहीं हैं, सिवाय इसके कि मध्यस्थता समझौते या प्रस्तुत करने के विलेख में उसे कारण देने की आवश्यकता है।मध्यस्थ या अंपायर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के समर्थन में कारण देने के लिए तब तक बाध्य नहीं है जब तक कि मध्यस्थता समझौते के तहत या प्रस्तुत करने के विलेख में उसे ऐसे कारण देने की आवश्यकता न हो और यदि मध्यस्थ या अंपायर अपने निर्णय के समर्थन में कारण देने का विकल्प चुनता है तो अदालत के लिए पुरस्कार को रद्द करने के लिए खुला है यदि वह पाता है कि ऐसे कारणों से गुजरने पर मध्यस्थ या अंपायर द्वारा रिकॉर्ड के सामने कानून की त्रुटि की गई है।मध्यस्थ या अंपायर को ऐसे कारण भी देने होंगे जहां अदालत ने किसी आदेश में निर्देश दिया है जैसे कि अधिनियम की धारा 20 या धारा 21 या धारा 34 के तहत दिए गए आदेश में कारण दिए जाने चाहिए या जहां कानून जो मध्यस्थता को नियंत्रित करता है, उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती है।"

ई.

च

जी.

32. एस**.** के एक अन्य मामले में इस न्यायालय की तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ।

एच.

हरचरण सिंह बनाम भारत संघ, (1990) 4 एस. सी. सी. 647 ने ए.

313

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.] ए.

इसका पहले का विचार है कि मध्यस्थ के निर्णय को आम तौर पर पक्षों के बीच बाध्यकारी माना जाता है क्योंकि वह पक्षों द्वारा चुना गया एक न्यायाधिकरण है और पुरस्कार को रद्द करने की न्यायालय की शक्ति मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 में निर्धारित मामलों तक ही सीमित है।

33. हालाँकि, चोखामल मामले (उपरोक्त) के अनुपात को विधानमंडल का समर्थन नहीं मिला है, और तदनुसार मध्यस्थता अधिनियम में धारा 31 (3) लागू की गई है। यह न्यायालय सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनामकेरल राज्य, (2009) 4 ए. आर. बी. एल. आर. 13 एस. सी., इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने संकेत दिया है कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक तर्कपूर्ण पुरस्कार का पारित होना एक खाली सूत्रीकरण नहीं है।

ग

34. यह मध्यस्थता पर रसेल को नोट करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, 23 वां संस्करण।(2007), जहाँ वह नोट करता है किः

“यदि न्यायालय अधिनिर्णय और उसके समक्ष की सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकता है, जिसमें साक्ष्य से उद्धरण और सुनवाई की प्रतिलिपि शामिल हो सकती है, तो न्यायाधिकरण के तर्क का जोर नहीं होगा।

डी.

अनियमितता पाई जाएगी।समान रूप से**,** न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि गैर**-**अधिवक्ता मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत पुरस्कारों पर विचार करते समय**,** न्यायालय को ऐसे निष्कर्षों के सार को देखना चाहिए**,** न कि उनके रूप को**,** और यह कि किसी को पुरस्कार को मेले में पढ़ने की मंजूरी देनी चाहिए**,** न कि अनुचित शाब्दिक तरीके से।**"**

ई.

(जोर दिया गया)

35. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (3) के तहत अधिदेश में ऐसा तर्क होना चाहिए जो समझने योग्य और पर्याप्त हो और जो उचित मामलों में न्यायालयों द्वारा पुरस्कार और उसके तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों के निष्पक्ष अध्ययन से भी निहित किया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो।उपरोक्त प्रावधान में विवाद के त्वरित समाधान के संबंध में मध्यस्थों द्वारा एक विस्तृत निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है।36. जब हम एक तर्कपूर्ण क्रम की आवश्यकता पर विचार करते हैं तो एक तर्कपूर्ण क्रम की तीन विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है।वे इस प्रकार हैंःउचित, बोधगम्य और पर्याप्त।यदि क्रम में तर्क अनुचित हैं, तो वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक दोष प्रकट करते हैं।यदि किसी पुरस्कार को चुनौती अनुचितता या तर्क में विकृति पर आधारित है, तो इसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए आधारों पर सख्ती से चुनौती दी जा सकती है। यदि किसी पुरस्कार के लिए चुनौती जमीन पर आधारित है

च

जी.

कि यह समझ में नहीं आता है, यह बिल्कुल भी कोई कारण नहीं देने के बराबर होगा।कारणों की पर्याप्तता पर चुनौती से संबंधित अंतिम पहलू पर आते हुए, न्यायालय को धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचार के लिए आने वाले मुद्दों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तर्क की विशिष्टता की डिग्री के आधार पर ऐसे पुरस्कार की वैधता पर निर्णय लेना होता है।विशिष्टता की मात्रा को सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह मुद्दे की जटिलता पर निर्भर करेगा।भले ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्षों के तर्क में अंतराल था, न्यायालय को पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि अपर्याप्त कारणों वाले पुरस्कारों को आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से अलग न किया जाए।दूसरी ओर, आमतौर पर दुर्बोध पुरस्कारों को अलग रखा जाना चाहिए, जो तर्कपूर्ण पुरस्कार को समाप्त करने के लिए पार्टी की स्वायत्तता के अधीन हैं।इसलिए, न्यायालयों को किसी पुरस्कार में कारणों की अपर्याप्तता और दुर्बोध पुरस्कारों के बीच अंतर करते समय सावधान रहने की आवश्यकता होती है।

ग

डी.

37. इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम में धारा 34 (4) प्रदान करने का विधायी इरादा न्यायाधिकरण को उपचार योग्य दोषों को दूर करने का अवसर देने के बाद, पुरस्कार को लागू करने योग्य बनाना था।इस प्रावधान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था।

ई.

38. तर्क के अभाव के मामले में ऐसे दोषों को ठीक करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत उपयोगिता प्रदान की गई है।जब तर्क में पूरी तरह से विकृति होती है, तभी इसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के तहत चुनौती दी जा सकती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत दोषों को ठीक करने के लिए निहित शक्ति का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां मध्यस्थता पुरस्कार कोई तर्क प्रदान नहीं करता है या यदि निर्णय में तर्क या अन्यथा कुछ अंतर है और जिसे ठीक किया जा सकता है ताकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उपरोक्त उपचार योग्य दोषों के आधार पर एक चुनौती से बचा जा सके। हालाँकि, इस मामले में न्यायाधिकरण को इस तरह की रिमांड फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि इस मामले में निर्णय लेने में 25 साल से अधिक का समय लगा है।इस स्थिति में हम शोक व्यक्त करते हैं कि एक प्रभावी और त्वरित मंच के रूप में मध्यस्थता का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

च

जी.

एच.

39. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई तर्कपूर्ण पुरस्कार नहीं था, तो पुरस्कार का अस्तित्व समाप्त हो गया और न्यायालय धारा 34 के प्रावधानों के तहत पुरस्कार की चुनौती की सुनवाई के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यात्मक था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता पुरस्कार समझौते के संदर्भ में नहीं था।ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से मामले को न्यायाधिकरण को भेजने पर विचार करना चाहिए था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले का विश्लेषण किया, लेकिन, विभिन्न कारणों से और हमें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की वैधता में जाने की आवश्यकता नहीं है।

40. फैसले पर वापस आते हुए, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को तत्काल मामले में बनाए रखा जा सकता है।यद्यपि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विभिन्न उप-शीर्षकों के तहत दावों को अलग-अलग निपटाया है, लेकिन पुरस्कार भ्रमित करने वाला है और बिना उचित भेद के तर्क, तथ्यों और तर्क को भ्रमित कर रहा है।न्यायाधिकरण ने जहां भी उस पर भरोसा किया, वहां अनुलग्नकों के संदर्भों के साथ तथ्यों के वर्णन के साथ पुरस्कार प्रदान किया।न्यायाधिकरण ने बिना कोई कारण बताए, तथ्यात्मक कथन के अंत में अचानक निम्नलिखित तरीके से निष्कर्ष निकालाः

ग

डी.

“ (3) मशीनरी के अनुत्पादक उपयोग के लिए दावा।

ई.

(छ**)** उपरोक्त सभी तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि दावेदार द्वारा तैनात मशीनरी को काम की उपलब्धता के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके अनुत्पादक काम करना पड़ता था।अनुबंध में केवल मिट्टी के काम के वास्तविक कारोबार के लिए भुगतान पर विचार किया गया है और इसके लिए उन्हें कुल रु। **1709782.88**।द**.**

च

दावेदार का दावा है कि मशीनरी, पुरुषों और इंजीनियरों को दिए गए किराया शुल्क की प्रतिपूर्ति उसे की जानी चाहिए।उन्होंने अपने दावे के बयान में वास्तविक खर्च दिए हैं।

जी.

(जोर दिया गया)

41. दिलचस्प बात यह है कि तथ्यात्मक वर्णन दावेदार के तर्क के साथ जोड़ा गया है, जो एक साथ बंडल किया गया है।उसी को अलग करने के लिए उसे बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने तर्कों को उस आधार के साथ मिलाया है जिस पर वह भरोसा करना चाहता है।

एच.

दावेदार का दावा।इसके अलावा, इसने प्रतिवादी के बचाव के कारणों को कम कर दिया है।दस्तावेजों के आधार पर हमारे स्वतंत्र दिमाग के अनुप्रयोग के बावजूद, जिन पर भरोसा किया गया था, लेकिन पुरस्कार को अपने मौजूदा रूप में बनाए नहीं रख सकते क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष के पूरक के लिए कानूनी तर्क की आवश्यकता है।इस संदर्भ में, विषय वस्तु की जटिलता हमें इस तरह के कानूनी तर्क को पूरा करने से रोकती है और हम उपरोक्त पुरस्कार को तर्क के रूप में बनाए नहीं रख सकते हैं।

42. पुरस्कार के समापन अनुच्छेद को कम करना फायदेमंद हो सकता है, जो इस प्रकार हैः

" 3.4.उपरोक्त तर्कों और उनके द्वारा उद्धृत विभिन्न प्राधिकरणों का न्यायाधिकरण द्वारा अध्ययन किया गया है और हम आश्वस्त हैं कि मुआवजे का भुगतान दावेदार द्वारा जून 95 में किए गए दावों के आधार पर किराया शुल्क और खर्च पर किया जाना है और अब दावेदार द्वारा 05.07.1997 पर अपनी संशोधित दावा याचिका में प्रस्तुत किया गया है।हम आश्वस्त हैं कि

ग

डी.

दावेदार द्वारा तैनात मशीनरी की संख्या के बारे में डी**.** सी**.** एम**.** द्वारा जारी पत्र आर**-3,** आर**-8** और आर**-10** से वास्तव में मशीनरी को जुटाया गया है।दावेदार

विभिन्न मशीनरी के लिए लॉग बुक और बिल तैयार किए हैं

और अपने दावों को संशोधित किया।न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा सी-7 में अनुमोदित लॉग बुक और निष्क्रिय मजदूरी और आर-17 में किए गए दावों का अध्ययन किया था।"

ई.

(जोर दिया गया)

43. तथ्यों से, हम केवल यह कह सकते हैं कि निर्णय के अवलोकन से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसे बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया गया है।हालाँकि, पुरस्कार के भ्रमित और भ्रमित रूप ने उच्च न्यायालय को यह कहने के लिए आमंत्रित किया है कि मध्यस्थ ने केवल दोनों पक्षों की दलीलों को दोहराया है।पुरस्कार के अवलोकन से, इसमें शामिल मुद्दे की जटिलता को देखते हुए अपर्याप्त तर्क और प्रतिवादी की मंजूरी पर पुरस्कार को आधार बनाना उचित नहीं कहा जा सकता है, और तदनुसार पुरस्कार दुर्बोध है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

च

जी.

44. किसी भी मामले में, मुकदमेबाजी 25 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, जिसमें पक्षकारों के लिए कोई अंत नहीं है। समग्र मामले में, हम उत्तरदाताओं को ए की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।

एच.

317

मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

रु. 30,00,000-(केवल तीस लाख रुपये) अपीलार्थी को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर दावा संख्या 2 के खिलाफ पूर्ण और अंतिम निपटान में, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी मुकदमे को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा।

45. प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटान यहाँ दर्शाई गई सीमा तक किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.